न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित– **सबीहा खातून**
(उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

दाण्डिक वाद संख्या–1685 सन् 2005 ई0

उत्तर प्रदेश सरकार———————————————————अभियोजन–पक्ष।

बनाम

1 अयोध्याप्रसाद उर्फ अलगू पुत्र शीतला (मृतक)

2 अशोक कुमार पुत्र अलगू

3. जटाशंकर पाण्डेय पुत्र खेदूराम निवासीगण कस्बा गोपीगंज,जिला भदोही।

4. प्रकाश नरायण उर्फ मुकेश सिंह पुत्र हृदय नरायण सिंह

5 पुरूषोत्तम सुनार पुत्र कन्हैया (मृतक)

निवासीगण जी.टी.रोड गोपीगंज जिला भदोही।

अपराध संख्या 170 सन् 1990
धारा 456,380,427,448,188 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना गोपीगंज, जिला भदोही।

निर्णय

प्रस्तुत मामला पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित है। अभियुक्तगण अयोध्याप्रसाद उर्फ अलगू , अशोक कुमार ,जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नरायण उर्फ मुकेश सिंह, पुरूषोत्तम सुनार के विरूद्व पुलिस थाना गोपीगंज द्वारा अपराध संख्या–170 सन् 1990 ई0 धारा–456,380,427,448,188 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर मामले में संज्ञान अन्तर्गत धारा 190 (1) (इ) दण्ड प्रक्रिया संहिता लेते हुए मामले का विचारण किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रथम सूचना कर्ता प्रमोद नरायण उर्फ गुलाब सिंह बघेल पुत्र हृदयनरायण सिंह निवासी बघेल छावनी गोपीगंज जिला भदोही का निवासी है। ज्ञानपुर रोड पर मेरा एक निजी मकान प्रदीप भवन स्थित है। जिसमें 9 दुकाने है जो किराये पर है और जिसमें किरायेदारान आबाद है उक्त मकान के सम्बंध में मेरे पिता हृदय नरायण व अयोध्या प्रसाद उर्फ शीतला तथा जटाशंकर पाण्डेय निवासी तिलंगा हा. मु.किरायेदार अयोध्याप्रसाद व रामलखन उमन निवासी गोपीगंज व उनकी पत्नीया के दरमयान माननीय सिविल जज, ज्ञानपुर की अदालत में मु0न0 8/79 व 39/79 लम्बित है, जिसमें मेरे पक्ष में स्थगन आदेश जारी है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी मुझे स्थगन प्राप्त है। दुकान नं08 दक्षिण में यू.पी. हैंडलूम कार्पोरेशन को किराये पर दे रखा है, जिसमें कार्पोरेशन का 3 लकडी के रैक, 2 काउन्टर तथा अन्य

सामान रखा था। दिनांक 3.10.90 की रात 10 बजे अयोध्या प्रसाद उर्फ अलगू तथा अशोक कुमार व जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नारायण उर्फ मुकेश सिंह तथा 8–10 लोग गोल बनाकर उक्त दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा कार्पोरेशन का सामान उठा ले गये और दुकान मे पीछे का दीवाल तोड़ दिया और उसमें खाद की बोरियां रख रहे है और अभी भी वे सब दुकान में मौजूद है। मेरी रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जाय।

उक्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अयोध्याप्रसाद उर्फ अलगू, अशोक कुमार, जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नरायण उर्फ मुकेश सिंह, पुरूषोत्तम सुनार के विरूद्ध अपराध सं0–170 सन् 1990, अंतर्गत धारा 456,380,427,448,188 भारतीय दण्ड संहिता थाना गोपीगंज में दर्ज हुआ।

प्रथम सूचना दाता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में अपराध की विवेचना संचालित की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंतर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर विवेचना में संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अयोध्याप्रसाद उर्फ अलगू, अशोक कुमार ,जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नरायण उर्फ मुकेश सिंह, पुरूषोत्तम सुनार उपरोक्त के विरूद्व प्रथम दृष्टया धारा 456,380,427,448,188 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध गठित होना पाते हुये उनके विरूद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण अभियुक्तगण अयोध्याप्रसाद उर्फ अलगू, अशोक कुमार ,जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नरायण उर्फ मुकेश सिंह, पुरूषोत्तम सुनार न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी जमानते करायी।

दौरान विचारण अभियुक्त पुरूषोत्तम सुनार मृत्यु हो जाने के कारण उक्त न्यायालय के आदेश दिनांक 18.2.97 से वाद की कार्यवाही से उपसमित किया गया।

अभियुक्तगण अयोध्याप्रसाद उर्फ अलगू, अशोक कुमार, जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नरायण उर्फ मुकेश सिंह के विरूद्ध दिनांक 1.2.1999 को आरोप अन्तर्गत धारा 456,380,427,448,188 भा0द0स0 विरचित किया गया जिसमे अभियुक्तो ने आरोपो से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी0डब्लू0–1 प्रमोद नरायन उर्फ गुलाब सिंह बघेल, पी0डब्लू0–2 प्रभात कुमार सिंह, पी0डब्लू–03 महेन्द्र प्रताप सिंह, को परीक्षित कराया गया है।

उक्त साक्षियों के साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। दिनांक–18.09.2018 ई0 को अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने तथाकथित घटना से इन्कार किया एवं अभियोजन साक्षी द्वारा गलत बयान दिया जाना एवं वादी मुकदमा के प्रभाव में अभियोजन प्रपत्र गलत तौर पर बनाया जाना कहते हुये प्रतिरक्षा में सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुकदमें में विवेचक व हेडमोहर्रिर परीक्षित नहीं हुआ है। यहॉ इस तथ्य को उल्लेख करना समीचीन है कि वर्तमान काल में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं से यह स्पष्ट है कि यदि मुकदमें के विवेचक व हेडमोहर्रिर न परीक्षित हुए तो उससे अभियोजन पक्ष प्रभावित नहीं होगा। पत्रावल पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अभियोजन पक्ष पूर्णतया बिला किसी संदेह के साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाना न्यायसंगत है।

अभियुक्तगण की तरफ से लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमें में किसी भी औपचारिक साक्षियों को परीक्षित नहीं कराया गया है। जो प्रपत्र अभियोजन के द्वारा साबित नहीं कराये गये है। आरोप पत्र साबित नहीं है। चिक एफ0आई0आर0 साबित नहीं है। कायमी जी0डी0 साबित नहीं है। नक्शा नजरी साबित नहीं है। फर्द बरामदगी कागज संख्या 7अ/1 को लेखक के द्वारा उसके तथ्य को साबित नहीं किया गया है। फर्द कागज सीज विवादित कमरा/दुकान कागज संख्या–7अ/1 को किसी भी तथ्य के साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया और न ही हस्ताक्षर की पहचान ही करायी गयी और न ही उसके लेखक को ही परीक्षित कराया गया। इस प्रकार उक्त प्रपत्र भी साबित नहीं है। उक्त मुकदमें में कथित विवादित दुकान नम्बर 8 जिसे किराये पर दिया जाना, कहा जाता है उसके किसी भी कर्मचारी को परीक्षित नहीं कराया गया तथा यू0पी0 हैण्डलूम ने दिनांक–06.10.1990 ई. को थानाध्यक्ष गोपीगंज को लिखित सूचना दिया था जो कागज संख्या–12अ है, को भी साबित नहीं कराया गया है। उसके द्वारा जो सूचना थाना गोपीगंज में कथित घटना दी गयी है उसके किसी भी अभियुक्तगण को नामित नहीं किया गया है, उक्त सूचना मे यह उल्लिखित किया गया है कि आज दिनांक–06.10.1990 को यह कापी प्राप्त हुई है कि उक्त अनेक्चर जो हजारों रूपये कीमत के थे ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गायब कर लिया

गया है यह भी बात जानकारी में आयी है कि उक्त मकान के मालिक के तौर पर दो व्यक्तियों के बीच टकराव है। यह तर्क रखा कि तथाकथित घटना के दिन, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा प्रमोद नरायन सिंह के दुकान नं8 जो कि किराये पर यू.पी. हैंण्डलूम कार्पोरेशन है,का ताला तोडकर सामान उठा ले जाने एव पीछे की दीवाल तोडकर अपनी खाद की बोरियां रखने का आरोप है। । अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दण्डित किया जाय।

उपरोक्त मुकदमें में माननीय उच्चतम न्यायालय की Full bench us Suvvari sanysi Apparao vs ather Appellents vs Boddepalli lakshmi nayranyan and othe के केस में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, 379 and 380 charge of thett bona fide claim of right is good detene'' where a bonafide claim of right exist it ean be a good defenc to a prosecution for theft''------

" the fiert of the statement is Certainly not the law it is settled law that where bonafide claim to right exists in eanbe a good defane to a prosecution for thett an does not amount to theft unless there be not only no legal right but no apperance of ealour of a lagel right" but no appearance of colour of a lagal risut Aceusud Aguitted AIR 1962 S.C. 586-588 उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्ण रूप से उक्त मुकदमें में तथ्य से मिलता है और पूर्ण रूप से लागू होता है।

अतः उपरोक्त कारणों को देखते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को आरोप धारायें 46,456,380,427,448,188 भा0दं0सं0 के अपराध से न्यायहित में संदेह का लाभ दिया जाकर दोष मुक्त किया जावे। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त के विरूद्व पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उसे दण्डित किया जा सके। साक्षी के साक्ष्य में तात्विक तथ्यों पर गम्भीर विरोधाभास है, जिस कारण साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित आरोप युक्ति–युक्त सभी संदेह से परे साबित न होने के आधार पर अभियुक्तगण आरोपित अपराध से दोषमुक्त होने योग्य है।

उभयपक्ष की ओर से रखे गये उक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में मैने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण अयोध्याप्रसाद उर्फ अलगू, अशोक कुमार, जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नारायण उर्फ मुकेश सिंह व पुरूषोत्तम सुनार पर प्रथम यह आरोप है कि दिनांक–30.10.90 समय रात 10 बजे घटना थाना गोपीगंज में वादी मुकदमा प्रमोद नारायण सिंह उर्फ गुलाब सिंह बघेल 8–10 लोग दुकान में ताला तोड़कर पीछे की दीवाल तोड़कर खाद्य की बोरियॉ रखे थे। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा रात्रों प्रक्षन्न गृह अतिचार करके धारा–456 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया इस आरोप के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या–5अ जो कि मूल तहरीर वादी मुकदमा है। जिसके अनुसार प्रथम सूचना कर्ता प्रमोद नरायण उर्फ गुलाब सिंह बघेल पुत्र हृदयनरायण सिंह निवासी बघेल छावनी गोपीगंज जिला भदोही का निवासी है। ज्ञानपुर रोड पर मेरा एक निजी मकान प्रदीप भवन स्थित है। जिसमें 9 दुकाने है जो किराये पर है और जिसमें किरायेदारान आबाद है उक्त मकान के सम्बंध में मेरे पिता हृदय नरायण व अयोध्या प्रसाद उर्फ शीतला तथा जटाशंकर पाण्डेय निवासी तिलंगा हा. मु.किरायेदार अयोध्याप्रसाद व रामलखन उमन निवासी गोपीगंज व उनकी पत्नीया के दरमयान माननीय सिविल जज, ज्ञानपुर की अदालत में मु0न0 8/79 व 39/79 लम्बित है, जिसमें मेरे पक्ष में स्थगन आदेश जारी है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी मुझे स्थगन प्राप्त है। दुकान नं08 दक्षिण में यू.पी. हैंडलूम कार्पोरेशन को किराये पर दे रखा है, जिसमें कार्पोरेशन का 3 लकडी के रैक, 2 काउन्टर तथा अन्य सामान रखा था। दिनांक 3.10.90 की रात 10 बजे अयोध्या प्रसाद उर्फ अलगू तथा अशोक कुमार व जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नारायण उर्फ मुकेश सिंह तथा 8–10 लोग गोल बनाकर उक्त दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा कार्पोरेशन का सामान उठा ले गये और दुकान मे पीछे का दीवाल तोड़ दिया और उसमें खाद की बोरियां रख रहे है और अभी भी वे सब दुकान में मौजूद है।

उक्त कथन के आधार पर विवेचनाधिकारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी कागज संख्या–6अ पत्रावली पर प्रस्तुत है जिसके अनुसार चिन्ह ए.बी.सी.डी.ई. वह स्थान जिन में ताले सीज किये। चिन्ह XXXX वहा स्थान है जहॉ पर बोरियॉ रखी हुई लाल रंग से घेरा प्रदर्शित किया गया है। उक्त नक्शा नजरी को अभियोजन द्वारा विवेचक द्वारा साबित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त कागज संख्या–7अ जो कि फर्द लेने में कब्जे में ताला व रम्भा प्रस्तुत है जिसके अनुसार आज दिनांक–03.10.90 को समक्ष गवाहान महेन्द्र प्रताप पुत्र केशव प्रताप सिंह, शिवपूजन पुत्र रामप्रताप पाण्डेय, प्रमोद कुमार सिंह पुत्र प्रमोद नारायण सिंह वादी मुकदमा अपराध संख्या–170/90 अन्तर्गत धारा–456,380,427,448,188 भा0दं0सं0 प्रमोद नारायण सिंह पुत्र हृदयनारायण सिंह ने एक

अदद टूटा हुआ ताला तथा रम्भा सुपुर्द किया। जिसे समक्ष गवाहान उपरोक्त कब्जे में लिये जाने की बात कहीं गयी है।

प्रस्तुत कागज वादी मुकदमा व साक्षी महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा साबित करा कर प्रदर्श क–2 डाला गया है। कागज संख्या–7अ जो के विवादित कमरें को सीज किया जाये से सम्बन्धित है, जिसे अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया। कागज 9अ जो कि फार्म फ11 द्वारा उत्तर प्रदेश ग्राम तालुका कोढ़ परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर है, जिसमें मुकदमा नं0 209 हृदयनारायण विक्रता का नाम खारिज कर क्रेता अवधेश पुत्र शीतला, फूलकुमारी व सावित्री देवी का नाम सहखातेदार दर्ज कागजात है। उल्लिखित है जिसके बाद तहसीलदार के आदेश दिनांक–08.03.89 में प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक स्थगन का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त पत्रावली कागज संख्या–12अ उत्तर प्रदेश राजस्व हरकरघा दिनांक–06.10.90 प्रस्तुत है, जो कि प्रदीप पाण्डेय क्षेत्रीय विपणन क्रासिंग एक मात्र वाराणसी द्वारा थानाध्यक्ष गोपीगंज को दिया गया प्रार्थना जिसमें यह कथन किया गया है कि यू0पी0 हैण्डलूम जो उत्तर प्रदेश का एक उपक्रम है, ने गोपीगंज वाराणसी में अपनी एक दुकान खोलने हेतु दिनांक–17.9.90 को गोपीगंज के सीानीय निवासी मकान मालिक प्रमोद नारायण सिंह उर्फ गुलाब सिंह बघेल से एक दुकान 13 x 22 फुट गोपीगंज बाजार में ज्ञानपुर रोड पर प्रदीप भवन दुकान संख्या–8, 11 महीने के किरायेदारी पर इकरारनामा कर लिया था, उक्त दुकान में हमारे संस्था द्वारा फर्नीचर तैयार कराया जा चुका था, और दुकान खुलने के प्रारम्भिक पूर्व ही आज दिनांक 6.10.90 को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त फर्नीचर जो हजारों रूपयें के थे ताला तोड़ कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गायबल कर लिया गया है। यह बात भी जानकारी में आयी है कि उक्त मकान के मालिक के तौर पर दो व्यक्तियो के बीच टकराव है। उक्त घटना की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करें। उक्त कागज अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त कागज संख्या 15अ जो कि विक्रय विलेख हृदयनारायण सिंह द्वारा 45 हजार रूपये के एवज में निस्पादित किया गया कि फोटो प्रति है। कागज संख्या–15अ प्रमोद नारायण सिंह बनाम अध्योध्या प्रसाद प्रार्थना पत्र रेस्टोष्रेषन अनतर्गत धारा–20 छाया प्रति है।

उपरोक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य पी0डबलू0–1 वादी मुकदमा प्रमोद नारायण उर्फ गुलाब सिंह बघेल पुत्र स्व0 हृदयनारायण सिंह बघेल को परीक्षित कराया गया। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया है कि कस्बा गोपीगंज में ज्ञानपुर रोड पर मेरा व्यवसायिक कई मकान है, तीन चार मकान हैं, जिसमें एक मकान है प्रदीप भवन। प्रदीप भवन में

मूलतः 9 दुकानें हैं। एक दुकान जिसमें मेरा कार्यालय है, को छोड़कर बकिया सब दुकान में किराये पर हैं। जो दुकान पर किराये पर है, उसमें किरायेदार आबाद हैं। बैदार जयशंकर पाण्डेय उनकी औरत अयोध्या प्रसाद रामलखन की औरत, इन बैदारान के बीच मेरे पिताजी के बीच कोई मुकदमा नहीं चला था। मैंनें अपने पिता एवं बैदारान के विरूद्ध एक मुकदमा डिक्लरेटी सूट दाखिल किया था, इसमें दो मुकदमें हुए थे, पहला मुकदमा मुंसिफ भदोही के यहॉ था, जिसमें सिर्फ पिताजी के खिलाफ था, वहॉ स्थगन आदेश मेरे पक्ष में था कि मेरे पिता किसी को व्यय न करें और मेरे कब्जा दखल में मुजहमत न करें। इस स्थगन के आदेश के बाद जब कि वह लागू था, मेरे पिता ने उपरोक्त तीनों किरायेदारों को मेरी तीन दुकान बीच दी। इसके बाद दूसरा मुकदमा सिविल जज ज्ञानपुर के यहॉ दाखिल किया, जिसमें स्थगन आदेश मेरे पक्ष में हुआ। यह मुकदमा मैंनें अपने पिता व उपरोक्त किरयेदारों के विरूद्ध किया था। दोनों मुकदमें अब एकजाई हो गये हैं, जिसका नम्बर 8/79 व 39/79 है। माननीय उच्च न्यायालय से भी मेरे पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त है, जिसकी सुनवाई अभी होनी है। दुकान नं0 8 को यू0पी0 सरकार के उपक्रम यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन लिमि0 को किराये पर दे रखा है। एक इकरारनामा यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन के बीच व मेरे बीच हुआ था। यू0पी0 हैण्डलूम कार्पोरेशन ने खाद्य दुकान में कब्जे को लेने के बाद उसमें रैंक व काउन्टर आदि बनाकर रखे थे और उसमें जो सामान रहा हो मुझे मालूम नहीं।

घटना के सम्बन्ध में साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कहा गया है कि घटना दिनांक—3.10.90 की हैं समय दस बजे रात लगभग का था। मुझे यह पता लगा कि अयोध्या प्रसाद आदि वहॉ पर इकट्ठे हैं और ताला तोड़कर सामान अपना रख रहे हैं। जिसपर बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह आपित्त की गयी कि यह सुनी सुनवाई बात है। उक्त साक्षी ने यह कहा कि जब वह घटना स्थल पर पहुॅचा तो उसने देखा कि अयोध्या प्रसाद उनका लड़का अशोक कुमार, जटाशंकर और एक पुरूषोत्तम शंकर दुकान खोल चुके हैं और उसमें खाद्य की बोरी रख रहे हैं। दुकान के पीछे की दीवाल भी तोड़ दिया है, वहॉ पर 8—10 लोग और भी मौजूद थे, जिस समय मैं पहुॅचा तो ताला तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ तोड चुके थे, कुछ के तोड ही रहे थे। हैण्डलूम कार्पोरेशन का सामान उठा ले गये थे। सामान वहॉ से हट चुका था। इस प्रकार इस साक्षी के मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनों से ही प्रथम दृश्टया ऐसा लगता है कि जब साक्षी घटना स्थल पर पहुॅचा तो उसके प्रथम कथनानुसार अभियुक्तगण द्वारा ताला तोड़ा जा रहा था, और खाद्य की बोरियॉ रख रहे थे, जब कि साक्षी का ही कथन है कि जब घटना स्थल पर पहुॅचा तो ताला तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ के ताले टूट चुके थे, कुछ तोड़े जा रहे थे। उपरोक्त दोनेां कथन साक्षी के आपस में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं।

इसके अतिरिक्त साक्षी का यह कथन कि हैण्डलूम कार्पोरेशन के सामान उठा ले गये थे, सामान वहॉ से हट चुका था। इससे यह प्रतीत होता है कि साक्षी ने अभियुक्तगण को सामान को ले जाते हुए नहीं देखा है। इसके अतिरिक्त साक्षी द्वारा अपनी जिरह में ये कहा है कि प्रदीप भवन का उत्तर दक्षिण की लम्बाई लगभग अन्दाज से सवा सौ फीट होगा। दक्षिण से पहले मेरी पहले दुकान थी, अब काम नहीं होता तो अब मेरा कार्यालय है। दूसरी दुकान किराये पर है, जो सरार्फा की दुकान है, तीसरी लियाकत अली को दुकान दिया है। लियाकत अली वाली दुकान, दुकान नं0 2 का पार्ट है, फिर कहा कि दुकान नं0 3 का पार्ट है। दो पार्ट के में अब्दुल अजीज उर्फ बब्लू की दुकान है। दुकान नं0 3 के दूसरे हिस्से में किरायेदार असगर हैं। चौथी दुकान घटना काल के समय उदित नारायण पाण्डेय...............पाचवीं दुकान दयाराम तिवारी को किराये पर दिया था, अब भी किरायेदार हैं। छठी दुकान में भोला नाथ तिवारी.......... जो घटना काल में था। सातवीं दुकान घटना काल में गणेशप्रसाद बरनवाल को दिया था। आठवीं दुकान सहगल को दिया था जिसमें होटल था। इस प्रकार जैसा कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना सीलि दुकान नं0 8 के किरायेदार उत्तर प्रदेश कारर्पोरेशन के फर्नीचर को रात्रो प्रछन्न गृह अतिचार कारित कर अपराध किया गया, परन्तु वादी मुकदमा के कथन के अनुसार घटना के समय दुकान नं0 8 सहगल को किराया पर दिया गया था, और उसमें होटल था, स्वयं अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बना दिया जब कि दुकान नं0 8 घटना के समय सहगल को किराया पर दिया गया था उसमें किराये पर होटल था तो किस प्रकार घटना के समय घटना हैण्ड लूम कोपोरोंष का फर्नीचर रखा गया था। एक ही दुकान को किस प्रकार दो लोगों को किराये पर दिया था। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभियुक्तगण पर रात्रोप्रछन्न गृह अतिचार का आरोप है। इसके सम्बन्ध में भी वादी मुकदमा का कथानक कि अभियुक्तगण ताला तोड़कर सामान रख रहे थे, जिसके बारें में उसने सुना था, या जब वह घटना सीलि पर पहुॅचा तब कुछ ताले तोड़े जा रहे थे, कुछ ताले तोड़े जा चुके थे, उक्त कथानक भ्रम की स्थिति में पैदा करती है। इसके अतिरिक्त साक्षी द्वारा अपनी परीक्षा में ये कहा है कि घ टना स्थल एक कटरा है जिसमें 8 दुकाने हैं, दूसरे में 12–13 दुकानें है। रात में दुकानें खुलने बन्द होने का समय दुकानदारों पर निर्भर करता है। दुकानों में दुकानदारों के परिवार भी रहते हैं। साक्षी ने अपनी जिरह में जिन दुकानों में परिवार रहते हैं, इनके बारें में बताया कि शिवपूजन पाण्डेय, चन्द्रशेखर पाण्डेय आदि अपने परिवार के साथ रहते हैं। सब का नाम नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि 10–11 बजे ज्ञानपुर रोड पर दुकानें खुली रहती है और गाड़ियॉ आती जाती रहती हैं। इस प्रकार घ टना स्थल के चश्मदीद गवाह घटना स्थल के पास रहने वाले परिवार के लोग जो

सर्वोत्तम साक्षी थे और वास्तव में घटना क्या कारित हुई उसमें अच्छी तरह बता सकते थे। परन्तु अभियोजन द्वारा उक्त सर्वोत्तम साक्षीगण को किसी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षी ने कहा कि जिस किसी ने मुझे घटना के समय मेरे घर पर जो सूचना दिया उसने कहा कि यू0पी0 हैण्डलूम वाली दुकान का ताला टूट गया है। उसमें जटाशंकर अपना खाद्य रख रहे हैं। सूचना मिलने पर दस पांच मिनट बाद में घटना स्थल नहीं गया, सीधे थाना गोपीगंज गया। थाना गोपीगंज जाकर मैंनें घ टना की रिपोर्ट दरोगा जी को थाने पर दिया। जो तहरीर उस समय मैंनें दीवान जी को दी उस पर दीवान जी ने रिपोर्ट लिख लिया। उस समय रिपोर्ट की नकल नहीं दिया था। दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट की नकल दीवान जी ने दिया था। घर पर घटना की सूचना देने वाले जमील हैं तथा मेरे लड़के ने भी टेलीफोन से सूचना दिया था। मैंनें अपनी रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि घटना की सूचना मेरे घर पर जमील ने दिया। अतएवं मेरे लड़के ने टेलीफोन से सूचना दिया था। मैं नहीं बता सकता कि मेरी 161 दं0प्र0सं0 के बयान में उक्त बात लिखी या नहीं यदि दरोगा जी ने उक्त बात नहीं लिखी है तो उसका कारण दरोगा जी बता सकते हैं। घर से थाने सूचना देने गया था तब अपने कार से गया था, तीन चार मिनट लगा होगा। थाने में मैं कुल पन्द्रह मिनट रहा। थाने में तहरीर देने के बाद दरोगा जी अपने अन्य कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर मुझे लेकर गये और वहॉ दुकान पर खाद्य रखी गयी थी। वहॉ मुल्जिम लोग इकट्ठे थे, बिजली जल रही थी। उस समय दरोगा जी ने मौका मुआइना किया। घटना स्थल पर कुछ लिखा पढ़ी किया। उस समय दरोगाजी ने मुझे बताया था। उन्होंनें मिला था कि 200 बोरी खाद्य दुकान में रखी आदि क्या सामान दुकान में रखा है। दरोगाजी ने मुझे उस समय नहीं बताया था। घटना स्थल से वापस थाने लौट कर घटना वाली रात थाने में मेरा बयान इसी रात लिया था। जब बयान लिया तो साढ़े दस या 11 बजे का समय रहा होगा। मुझे यह याद नहीं है कि दरोगाजी को उस रात मैंनें यह बताया था या नहीं कि दुकान में क्या क्या सामान रखा गया है। जब दरोगा जी के साथ मैं घटना स्थल पर गया है। उस समय आस पास के लोग इकट्ठा हो गये। उनके नाम इस वक्त याद नहीं है।

उपरोक्त संदेहास्पद बयानों के अतिरिक्त साक्षी द्वारा अपनी जिरह दिनांकित–04.10.2004 को यह कथन किया है कि दुकान में खाद्य रखी हुई थी, कितनी लाईन में रखी हुई थी नहीं बता सकता............इस दुकान के अगल बगल की दुकानें जो थी, वह सब दुकाने बन्द थी, <u>मेरा कोई ताला नहीं टूटा था।</u> साक्षी ने यह भी कथन किया है जब दरोगाजी के साथ दुकान में पहुॅचा तो अभियुक्तगण दुकान व बरामदें में मौजूद थे, तहरीर रिपोर्ट में मैंनें सही बात सोच समझ कर लिखवायी थी। साक्षी ने अभियुक्त प्रकाश

नारायण के बारे में कहा कि जो बाते प्रकाश नारायण के बारे में रिपोर्ट में लिखायी थी, वह सही थी। साक्षी को तहरीर रिपोर्ट दिखाये जाने पर कि तहरीर में यह नहीं लिखा है कि मुल्जिम प्रकाश नारायण मौके पर बगल के दुकान पर मौजूद थे, हमको वहॉ पर देखकर वहॉ से हट गये। जिसके सम्बन्ध में पूॅछे जाने पर कि उन्होंनें यह बात तरहीर में क्यों लिखायी गयी। साक्षी द्वारा कहा गया कि जरूरी नहीं समझा। परन्तु फिर यह भी कहा कि मैंनें दरोगाजी को बताया था या नहीं बताया था उन्होंनें लिखा था या नहीं लिखा था मुझे नहीं मालूम। उक्त साक्षी द्वारा मूल तहरीर में यह कथन कि दिनांक–03.10.1990 को रात 10 बजे अयोध्या उर्फ अलगू पुत्र शीतल तथा अशोक कुमार, जटाशंकर पुत्र नामालूम उपरोक्त प्रकाश नारायण उर्फ पुरूषोत्तम सोनकर तथा 8–10 लोग उसमें ताला तोड़कर उसमें रखा कार्पोरेशन का सामान का उठा ले गये और दुकान के पीछे की दीवार तोड़ दिये। वह बात सही है या जो बयान साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिया गया है कि प्रकाश नारायण दुकान के बगल में बैठे हुए थे, मुझे देखकर वहॉ से हट गये। यह बात सही है। इस सम्बन्ध में साक्षी ने कहा कि तहरीर रिपोर्ट में उक्त बात इस लिये मैंनें नहीं लिखायी थी पहुॅचने व देखने में अन्तर हो सकता है इस प्रकार साक्षी के स्वयं के कथन से ही अभियेाजन कथानक पर यह संदेह उत्पन्न होता है कि साक्षी वादी मुकदमा है। उसके द्वारा यह तहरीर दी गयी और मुकदमा दर्ज किया गया, वह कथन सही है या साक्षी के द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ जो बयान दिया गया वो सही है। जबकि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियेाजन को अपना आरोप जो कि अभियुक्तगण पर लगाया गया है। युक्त–युक्त संदेह से परे साबित करना होगा, परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियेाजन कथानक वादी मुकदमा के बयान से ही पूर्ण से संदेहास्पद और आपस में घोर विरोधाभाषी है, उक्त साक्षी का एक तरफ यह कहना है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना की तारीख को समय 10 बजे विवादित घटना सलि का ताला तोड़कर उसमें खाद्य की बोरियॉ रखी गयी। जब कि दूसरी तरफ यह कहना है कि उसकी दुकान का ताला टूटा हीं नहीं। इसके अतिरिक्त यह कि जब वह मौके पहुॅचा तब ताला तोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना वास्तव में कि अभियेाजन द्वारा लगाया आरोप सही है। यह पूर्ण रूप से संदेहास्पद है।

इसके अतिरिक्त साक्षी पी0डब्लू0–2 प्रभात सिंह जो कि वादी मुकदमा का लड़का है, द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में कहा है कि कथित घटना के सम्बन्ध में अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह कहा कि उसे घटना के सम्बन्ध में पता चला। इस प्रकार यह साक्षी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और वादी मुकदमा भी अनुसृति साक्षी ही है।

साक्षी पी0डब्लू0–3 जो कि फर्द का साक्षी है। इस साक्षी द्वारा कागज संख्या–7अ प्रदर्श क–2 को अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया गया है। इस साक्षी द्वारा

भी अपने जिरह में कहा गया है कि दरोगा से जब उसकी मुलाकात हुई थी, शाम का समय था। 6–7 बज रहे थे। उक्त साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उसके द्वारा फर्द के कागज पर 2,3,4,5,6,10 कितने घण्टे बाद हस्ताक्षर किया गया था। साक्षी द्वारा कहा गया कि उसे याद नहीं है। जब कि अभियोजन कथानक और वादी मुकदमा के कथन के अनुसार कथित घटना समय 10 बजे की है जिसकी सूचना वादी मुकदमा द्वारा 10.30 या 10.45 तक सम्बन्धित थाने पर लिखित रूप में दी गयी जिसके पश्चात् मौके पर दरोगा द्वारा घटना सलि का निरीक्षण किया गया और उसके बाद वादी मुकदमा के कथन के अनुसार 11.30 बजे या आधी रात के करीब दरोगा द्वारा फर्द बरामदगी तैयार की गयी। इस प्रकार साक्षी का यह कथन कि उसकी मुलाकात दरोगा से 6 बजे हुई। जब कि घटना 10 बजे होना बताया गया है, किन कारणों से फर्द का गवाह वहॉ पहुॅचा और दरोगाजी से मुलाकात हुई। इसका कोई युक्त युक्त कारण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त साक्षी द्वारा फर्द में उल्लिखित बरामदगी के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि जिस ताला रम्भा के बारे में फर्द बनाया गया था। वह बयान के समय उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस साक्षी के कथन के अनुसार घटना के समय बहुत सारे लोग मौजूद थे, जैसा कि वादी मुदकमा ने भी कथन किया है 100 या 200 लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ऐसी स्थिति में अभियेाजन द्वारा किसी भी चश्मदीद गवाह को प्रस्तुत न करना मामले कों संदेहास्पद बनाता है। इस संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था करनेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1968 एस.सी. 1402** प्रसंगिक है। जिसमें यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि कथित घटना को देखने वाले व्यक्तियों को अभियोजन जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करता है तो न्यायालय प्रतिकूल परिकल्पना कर सकती है, तथा ऐसी असफलता को अभियोजन कथानक को साबित करने में गम्भीर दुर्बलता के रूप में निर्धारित कर सकती है।

उपरोक्त समस्त विवेचना के उपरान्त न्यायालय के मत में अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये आरोप कि अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना दिनांकित–03.10.90 को समय रात 10 बजे वादी प्रमोद नारायण सिंह के दुकान नं0 8 हैण्डलूम कारर्पोरेशन का ताला तोड़ कर पीछे की दीवाल तोड़कर कर खाद्य की बोरियॉ रखकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–456 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है। इस आरोप को युक्त–युक्त संदेह से परे साबित कारने में सफल रहा है।

अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर द्वितीय आरोप यह लगाया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना सलि पर ताला तोड़कर रखा हुआ सामान उठा ले

गये। इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू0–1 के अतिरिक्त कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा अथवा प्रति परीक्षा में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित सामान को ले जाते हुए देखा गया है। उक्त साक्षी ने अपने सम्पूर्ण बयान में यह कथन किया है कि उसे सूचना मिलने पर जब वह घटना सिलि पर पहुॅचा तब खाद्य बोरियॉ रखी हुई थी। साक्षी पी0डब्लू0–2 जो कि स्वयं एक अनुसृति साक्षी है, उसके द्वारा भी खाद्य बोरियॉ घटना सथल पर रखे जाने का बयान किया है। साक्षी पी0डबलू0–3 ने भी अपने बयान में कहीं भी यह नहीं उल्लेख किया गया कि उसने सामान को ले जाते समय अभियुक्तगण को देखा हो। चोरी के विषय में अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित किया गया है और यू0पी0 कारर्पोरेशन के सामान को चुराये जाने की बात कहीं गयी है। जब कि अभियोजन द्वारा यू0पी0 कारपोरेषन के किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। जैसा कि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेष राज्य के हथकरघा के कर्मचारी द्वारा भी प्रार्थना पत्र दिया गया है। उक्त साक्षी के कथन के समर्थन में कागज संख्या 12अ प्रस्तुत है। जो कि अभियोजन द्वारा साबित नहीं है और इस कारण अभियोजन कथानक को सम्पोषित नहीं करती है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सामान ले जाने की बात कहीं गयी है। वादी की बात को यदि मान लिया जाय तो कि वादी मुकदमा और संस्था के बीच किरायेदारी का इकरारनामा हुआ था। घटना की जानकारी उक्त किरायेदार की भी थी, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चुराया जाना मामले को समझ से परे कराते हैं और यह कि अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को क्यों परीक्षित नहीं कराया गया इसका भी कोई युक्त–युक्त कारण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, जब कि उक्त साक्षी मामले का सर्वोत्तम साक्षी था। इस प्रकार अभियोजन अपने दूसरे आरोप को भी अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्त–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर तीसरा आरोप यह लगाया गया है, अभियुक्तगण द्वारा दुकान की पीछे की दीवार तोड़कर वादी को आर्थिक नुकसान पहुॅचाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–427 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है एवं चतुर्थ आरोप के आरोप दीवाल तोड़कर गृह अतिचार जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–448 के अन्तर्गत दण्डनीय है का अपराध का कारित किया है। इस सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और उपरोक्त वर्णित चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोज न आरोप को युक्त–युक्त संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि पत्रावली पर कागज संख्या 6अ जो कि नक्शा नजरी है, जिसे अभियोजन द्वारा साबित नहीं भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नक्शा नजरी में कहीं भी दीवार

को तोड़ने या दीवाल का मलबा किसी भी कथन के सम्बन्ध में कोई भी संकेत अंकित नही किया गया है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 तथा पी0डब्लू0–3 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि किसी के द्वारा दीवाल को तोड़ते हुए देखा गया है या मौके पर कोई मलबा था और इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया इसका तर्क पत्रावली पर नहीं है।

अभियुक्तगण पर अभियोजन द्वारा पॉचवा आरोप यह है कि उक्त तिथि व समय सीान पर माननीय सिविल जज ज्ञानपुर द्वारा मुकदमा नं0 8/79, 39/79 में सगिन आदेष पारित होने के बावजूद दुकान नं0 8 हैण्डलूम कार्पोरेशन का ताला तोड़ा एवं पीछे की दीवाल तोड़कर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा किया। जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस सम्बन्ध में यहॉ यह चर्चा किया जाना आवश्यक है कि परिवादी श्री प्रमोद नारायण सिंह द्वारा दिनांक–03.10.99 को इस आशय की प्रथम सूचना अभियुक्तगण अयोध्या प्रसाद, अशोक कुमार, जटाशंकर, प्रकाश नारायण व पुरूषोत्तम सुनार के विरूद्ध थाना गोपीगंज में लिखाई गयी। कि गोपीगंज कस्बे में ज्ञानपुर मार्ग पर उसका एक निजी मकान प्रदीप भवन स्थित है, जिसमें 9 कमरें हैं और जो किराये पर है और उक्त मकान के सम्बन्ध में उसके पिता हृदयनारायण सिंह तथा तीन क्रेतागण अयोध्या प्रसाद, जटाशंकर तथा रामलखन के मध्य व्यवहार न्यायाधीश ज्ञानपुर के न्जयायालय में वाद संख्या–8/79 व 39/79 लम्बित है, जिसमें उसके पक्ष में स्थगनादेश जारी है तथा उसे माननीय उच्च न्यायालय से भी स्थगन प्राप्त है। प्रथम सूचना में कहा गया कि दुकान संख्या–8 में उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कारपोरेशन किरायेदार है, जिसमें कारपोरेशन का लड़की का तीन रैक दो काउन्टर व अन्य सामान रखा था। दिनांक–03.10.90 की रात दस बजे अभियुक्तगण अयोध्या प्रसाद, अशोक कुमार, जटाशंकर, प्रकाश नारायण व पुरूषोत्तम सोनार अन्य आठ–दस व्यक्तियों के सामान दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा कारपोरेशन का सामान उठा लिये गये और पीछे की दीवाल तोड़ दिया और उसमें खाद्य की अपनी बोरियॉ रख रहे हैं, और उपस्थित है। इस सूचना के बाद प्रथम सूचना अपराध संख्या–170/90 अन्तर्गत धारा–456,380,427,448,188 भा0द0सं0 पंजीकृत की गयी और विवेचना के धारा में आरोप पत्र अभियुक्तगणों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगणों की ओर से कहा गया कि प्रश्नगत मकान के स्वामी परिवादी प्रमोद नारायण सिंह नहीं बल्कि उसके स्वामी परिवादी के पिता हृदयनारायण सिंह थे और उन्होंनें ही उक्त मकान बनवाया था और हृदयनारायण सिंह उक्त प्रश्नगत मकान व दुकानों क कमरों का विक्रयपत्र दिनांक–27.01.79 को अभियुक्त अयोध्या प्रसाद तथा अभियुक्त जटाशंकर पाण्डेय और पत्नी फूलकुमारी व सावित्री पत्नी रामलखन के पक्ष में कर दिया और विक्रय के सयम ही

अध्यसन व उपभोग अन्तरित कर दिया है और तब से अभियुक्तगण का ही उसपर अध्यसन व उपभोग चला आ रहा है। परिवादी ने स्वयं अपने पिता हृदयनारायण सिंह के विरूद्ध व्यवहार वाद प्रस्तुत किया और उसमें अभियुक्तगण को पक्ष बनाया, राजस्व अभिलेख में कहीं भी परिवादी का नाम अंकित नहीं रहा और अभियुक्तगण ने विकय पत्र का उचित प्रतिफल मु0–45000/–रूपया परिवादी के पिता हृदयनारायण सिंह को दे दिया है, इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि उभयपक्षों के मध्य प्रश्नगत मकान व दुकानों के अध्यसन व स्वत्व का प्रश्न स्वीकृत रूप से व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और चूँकि अभियुक्तगण केता के रूप में उसके स्वामी हो गये है और स्वामी के रूप में मकान पर अध्यसन व उपभोग ये है। इसलिये उन्हें किसी भी रूप में सम्बन्धित सम्पत्ति पर अतिचारी नहीं माना जा सकता और अपनी सम्पत्ति पर चोरी करने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। यह कहा गया है कि परिवादी ने उक्त व्यवहार वाद में अपने पक्ष को सुदृढ़ करने के लिये झूँठे प्रथम सूचना अंकित कराके मामले को दाण्डिक रंग देना चाहते हैं यह भी कहा गया है कि न्यायालय के स्थगन आदेश का कोई उलंघन करके अभियुक्तगण ने मकान पर कब्जा नहीं किया है और यदि ऐसा है कि कभी इसके लिये सम्बन्धित व्यवहार न्यायालय उसे दण्डित कर सकता है और परिवादी की और से आदेश 39 नियम–2ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता में आवेदन इस निमित्त व्यवहार न्यायालय में चलाये गये हैं और लम्बित है। ऐसी दशा में यदि व्यवहार न्यायालय यह मान लें कि अभियुक्तगण ने स्थगनादेश का उलघंन नहीं किया है और अभियुक्तगण प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामी है और दूसरी ओर दाण्डिक न्यायालय अभियुक्तगण की इस मामले में दोष सिद्ध कर दे तो स्थिति विसंगगित पूर्ण हो सकती है। मामला पूरी तरह से व्यवहार प्रकृति का है और व्यवहार न्यायालय के विचाराधीन है। यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कारपोरेशन न तो कोई सामान रखा गया है न ही उसकी ओर से सूचना ही अंकित करायी गयी। यह भी तर्क दिया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है और पुलिस को विवेचना में दुकान के अन्दर अभियुक्तगणों का अध्यसन व उन्हीं की कोकोला की बोतलें व अन्य समान प्राप्त थी।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति में कहा गया है कि हृदयनारायण सिंह द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को अभियुक्तगणों के पक्ष में बेचा जाना फर्जी था और उसके सम्बन्ध में मुंसिफ न्यायालय द्वारा दिनांक–19.01.79 को तथा विद्वान अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक–01.03.79 को स्थगन आदेश जारी था और अभियुक्तगणो ने अवैध ढंग से बल पूर्वक दुकान पर अध्यासन करने का प्रयास किया जिसपर परिवादी ने प्रथम सूचना पुलिस को दिया और उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कारपोरेशन ने भी बाद में उसमें अपने को सहभागी बनाया। यह कहा गया है कि पुलिस ने दुकान में ताला बन्द कर दिया था

जिसे खोलकर अध्यसन परिवादी को दिये जाने का माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक–27.02.90 का आदेश दिया इससे परिवादी का स्वामित्व व अध्यसन माना जाना चाहिये और कहा गया कि अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है। सबसे पहले ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है माननीय उच्च न्यायालय के सामान के सम्बन्ध में सम्प्रति कोई मामला विचाराधीन नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्रभावी नहीं है। यहॉ नहीं स्वयं परिवादी की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रकीर्ण समादेश याचिका संख्या–30341/90 में पारित आदेश दिनांक–27.11.91 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आवेदक उचित न्यायालय के समक्ष अनुतोष की याचना कर सकता है और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक–11.11.91 पक्षों के हित पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इससे स्पष्ट है कि उभयपक्षों को सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने स्वात्व स्वतंत्र यप से सिद्ध करने हैं और माननीय उच्च न्यायालय के किसी आदेश से परिवादी को कोई लाभ नहीं मिला है।

यह स्वीकृत तथ्य है कि सम्बन्धित सम्पत्ति का स्वामी परिवादी का पिता हृदयनारायण सिंह था, यह भी प्रमाणित है कि हृदयनारायण सिंह की ओर से अभियुक्तगणों के पक्ष में उसका विक्रयपत्र लिये जाने के सम्बन्ध में ही परिवादी ने व्यवहार वाद संख्या–8/79 व्यवहार न्यायाधीश ज्ञानपुर के न्यायायल में संस्थित कर रखा है जो विचाराधीन है। उक्त विक्रयपत्र पंजीकृत विलेख है और जब तक उसे सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा खण्डित तथा निरस्त न कर दिया जाय और उसे कूटरचित घोषित न कर दिया जाय तब तक अवधारणा उसके पक्ष में ही जायेगी और प्रथम दृष्टया यही माना जायेगा कि उक्त विक्रय विलेख के अनुसार विक्रय पत्र की तिथि से ही अभियुक्तगण का कब्जा व स्वामित्व प्रश्नगत सम्पत्ति पर हो गया था। हृदयनारायण सिंह ने मकान नहीं बनवाया है और हृदयनारायण उसके स्वामी नहीं रहे हैं, ऐसा परिवादी का कथन है और हृदयनारायण सिंह द्वारा अभियुक्तगण के पक्ष में लिखे गये विक्रय पत्र सही है या कूटरचित है, यह प्रश्न व्यवहार न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि स्थगन आदेश कथित उलंघन के लिये परिवादी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेश 39 नियम 2–ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन भी संस्थित कर रखा है, ऐसे में यह प्रतिध्वनित होता है कि कि स्वयं परिवादी भी अपने मन में यह मानकर चल रहा है कि वस्तुतः अभियुक्तगण का आचरण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही विचारणीय व दण्डनीय है और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यवहार न्यायालय अपने स्थगन आदेश को उलघंन के लिये अभियुक्तगण को दण्डित करेनमें समर्थ है और अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में पर्याप्त बल प्रतीत होता है कि यदि व्यवहार न्यायालय

अभियुक्तगण को स्थगन आदेश के उलघंन का दोषी नहीं पाती है तो इस आपराधिक मामले की नींव ही धरासायी हो जाती है, क्योंकि इस मामले में प्रथम सूचना का आधार ही यही रखा गया है कि स्थगन आदेश का विरोध करके बल पूर्वक अभियुक्तगण ने कब्जा करने का प्रयास किया, इसलिये महत्वपूर्ण प्रश्न इस मामले के किसी आरोप के संदर्भ में यहीं है कि किसी स्थगन आदेश का उलघंन अभियुक्तगण ने किया या नहीं और कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न व्यवहार न्यायालय का है और वहीं विचाराधीन व लम्बित भी है। ऐसी दशा में इस प्रश्न पर आधारित किसी अपराध के लिये अभियुक्तगण को आरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पुलिस के लिये भी न उचित था और न ही उसके क्षेत्राधिकार में था कि वह व्यवहार न्यायालय के किसी अभिनिर्णय के पूर्व ही यह मान ले कि अभियुक्तगण ने स्थगन आदेश का उलघंन किया है और यह भी तब जब कि स्थगन आदेश के उलघंन की शिकायत स्वयं सम्बन्धित व्यवहार न्यायालय के समक्ष लम्बित है। साक्षी द्वारा उक्त दीवानी वाद का अभी भी दीवानी न्यायालय में लम्बित रहने का कथन अपने बयान में किया गया है। जिससे यह साबित होता है कि अभी यह प्रश्न ही निर्धारित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गयी या विवादित सम्पत्ति अभियुक्तगण की है अथवा नहीं।

इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अपनी मुख्य परीक्षा में समस्त अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

आपराधिक विधि का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन द्वारा अपराध के सभी तथ्यों को संदेह से परे साबित करना होता है। चूंकि उपरोक्त साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया, ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण अशोक कुमार, जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नारायण उर्फ मुकेश सिंह संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त समस्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण उपरांत न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण अशोक कुमार, जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नारायण उर्फ मुकेश सिंह उपरोक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–456,380,427,448,188 भा0दं0सं0 युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है और अभियुक्तगण उक्त धाराओं में दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अशोक कुमार, जटाशंकर पाण्डेय, प्रकाश नारायण उर्फ मुकेश सिंह को अपराध संख्या–170/1990 ई0 अपराध अन्तर्गत धारा–456,380,427,448,188

भा0दं0सं0 के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके नये जमानातनामें तथा बंध पत्र धारा–437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अग्रिम छः माह की अवधि तक यथा स्वरूप प्रभावी होगें। अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें।

दिनांक–10.09.2021 ई0

(सबीहा खातून)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही–ज्ञानपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–10.09.2021 ई0

(सबीहा खातून)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भदोही–ज्ञानपुर।